

प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

20 नवंबर 2025

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की हालिया लोक वित्त प्रबंधन पहल

श्री जयंत सिन्हा, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सरकारी लेखा) एवं अध्यक्ष स.ले.मा.स.बो.) का स्वागत संबोधन

लोक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, विशेष रूप से राज्यों में, सीएजी की रणनीतिक योजना का एक प्रमुख घटक है तथा उच्च गुणवत्ता वाली लेखापरीक्षा एवं लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं सुशासन को बढ़ावा देने तथा समस्त हितधारकों, जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका एवं जनता, को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करने के सीएजी के उद्देश्य का अभिन्न अंग है।

व्यय के वस्तु शीर्षों का सामंजस्य:

देश में लोक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने की हालिया पहल के एक भाग के रूप में, 11

नवंबर 2025 को सीएजी ने केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों को अलग-अलग स्तर पर व्यय के शीर्षों की एक सामान्य सूची अधिसूचित की है, जिसे आमतौर पर व्यय के 'वस्तु शीर्ष' के रूप में संदर्भित किया जाता है। अलग-अलग स्तर पर व्यय शीर्षों के संचालन में राज्यों के मध्य व्यापक भिन्नता ने कई हितधारकों का ध्यान आकर्षित किया एवं अंतर-कालिक एवं अंतर-राज्यीय तुलना के साथ-साथ केंद्र सरकार के साथ तुलना को भी प्रभावित किया। व्यय के वस्तु शीर्षों को सुसंगत बनाने वाली सीएजी की अधिसूचना, जिसे सभी राज्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2027-28 तक अपनाया जाना है, राज्यों के बजट एवं लेखा ढांचे को प्रभावित करने वाले दशकों पुराने मुद्दे का समाधान करेगी एवं राष्ट्रीय लोक व्यय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार प्रदान करेगी।

मासिक सिविल लेखों की तिथि को आगे लाना:

किसी संस्था के वित्तीय परिणामों की समयबद्ध तैयारी से उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता सुदृढ़ होती है तथा सुविज्ञ निर्णय-निर्माण में सहायता मिलती है। इस संदर्भ में, सीएजी द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल राज्य सरकारों के मासिक सिविल लेखों के अंतिम रूप दिए जाने की तिथियों को आगे लाना है। राज्य सरकारों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समन्वय के माध्यम से, मासिक सिविल लेखे, जिन्हें पहले महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को अगले माह की 25 तारीख तक उपलब्ध कराया जाता था, अब लगभग दस राज्यों में मासिक सिविल लेखे अगले माह की 10 तारीख तक एवं अन्य आठ राज्यों में 15 तारीख तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मासिक सिविल लेखों के अंतिम रूप दिए जाने की तिथियों के आगे लाने से राज्य सरकारों, भारतीय रिज़र्व बैंक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सहित लोक वित्त से जुड़े अन्य हितधारकों को राज्यों के वित्तीय परिणाम समय पर प्राप्त हो सकेंगे, जिससे राजकोषीय अनुशासन अधिक सुदृढ़ होगा।

राज्य वित्त पर प्रकाशन:

सीएजी द्वारा हाल ही में की गई एक महत्वपूर्ण पहल, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य वित्त पर अपनी तरह का पहला प्रकाशन, जारी करना है। राज्य वित्त के प्रकाशन में एक दशक लंबे अंतर-कालिक एवं अंतर-राज्यीय राजकोषीय विश्लेषण एवं आँकड़े शामिल हैं। यह प्रकाशन राजस्व, व्यय, लोक ऋण एवं देनदारियाँ, घाटे के संकेतक तथा गारंटियों से संबंधित अनेक मानकों पर समृद्ध वित्तीय आँकड़ों का संग्रह उपलब्ध कराता है। वृहद एवं सूक्ष्म स्तरों पर की गई तुलनात्मक स्थिति विभिन्न दृष्टिकोणों से राज्य वित्त की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करती है। राज्य वित्त पर आधारित यह प्रकाशन प्रतिवर्ष जारी किया जाएगा। यह प्रकाशन देश में लोक वित्त से जुड़े नीति निर्माताओं तथा अन्य हितधारकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन का कार्य करेगा। इस जानकारी को अधिक सुलभ बनाने के लिए एक इंटरएक्टिव डाटा डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है, जिसे सीएजी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

खनिजों से प्राप्तियों के वर्गीकरण एवं लेखांकन को युक्तिसंगत बनाना

सरकारों के वित्तीय विवरणों में प्राप्तियों एवं व्यय के संबंध में लेन-देन का सही वर्गीकरण एवं लेखांकन मजबूत नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। सीएजी ने हाल ही में भारत सरकार के खनन मंत्रालय तथा

व्यय विभाग, के साथ मिलकर खनिज-संबंधी प्राप्तिओं के लिए एक संशोधित वर्गीकरण व्यवस्था लागू कराने में सहयोग प्रदान किया है। इस पहल के परिणामस्वरूप खनिजों से प्राप्तिओं के वर्गीकरण में संशोधन किया गया है, ताकि प्रमुख खनिजों, जैसे कोयला एवं लिग्नाइट, लौह अयस्क तथा अलौह धातु खनिजों पर देय रॉयल्टी से संबंधित प्राप्तिओं को विशिष्ट रूप से वर्गीकृत किया जा सके। खनिज प्राप्तिओं के लेखांकन एवं वर्गीकरण में सुधार से राज्य वित्त लेखा में स्पष्टता, पारदर्शिता एवं एकरूपता आएगी। रॉयल्टी, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) एवं राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एसएमईटी) के लिए अलग-अलग मदों के साथ, हितधारकों के पास अब नीति, समीक्षा एवं निगरानी उद्देश्यों के लिए विश्वसनीय एवं सुलभ आंकड़े उपलब्ध होंगे। ये उपाय न केवल राज्यों के राजकोषीय आधार को सुदृढ़ करेंगे, बल्कि संसाधन शासन में जवाबदेही भी बढ़ाएँगे। पारदर्शिता को संस्थागत रूप देने एवं सतत खनन/अन्वेषण के लिए निधियों के लेखांकन को पृथक रूप से सुरक्षित करने से ये सुधार सुनिश्चित करेंगे कि खनिज संपदा, राज्यों एवं देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास में समान रूप से योगदान दे।

केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ भी सीएजी की इसी प्रकार की सहभागिता।